



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 2 जून, 2021
ज्येष्ठ 12, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 511/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(178)-2021
लखनऊ, 2 जून, 2021

अधिसूचना

प०आ०-136

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा अधिसूचना सं० क०नि०-2-836/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(06)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची एक 2.5% में, क्रम संख्या 259क के समक्ष, स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9503" रख दी जायेगी;
- (ख) अनुसूची एक के पश्चात्, सूची 1 में, क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
"(231). डायथाइलकार्बामाजिन".

2-यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 511 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(178)-2021, dated June 2, 2021 :

No. 511 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(178)-2021

Dated Lucknow, June 2, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI-2-836/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(06)-2017, dated 30 June, 2017, namely :-

In the said notification,-

(a) in Schedule I-2.5%, against S. No. 259A, for the entry in column (2), the entry "9503" shall be *substituted*;

(b) after Schedule I, in List 1, after serial number 230 and the entries relating there to, the following shall be *inserted*, namely-

"(231). Diethylcarbazine".

2. This notification shall come into force on the 2nd day of June, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 78 राजपत्र-2021-(139)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 7 सा० राज्य कर-2021-(140)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।